UPFD010057912020

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–7, फिरोजाबाद।

उपस्थित – **श्याम बाबू** "एच०जे०एस०"

(UP–1804)

सत्र वाद सं०–1555/2020

उत्तर प्रदेश राज्य। ––––––––––––––– अभियोजन पक्ष।

बनाम

1–**रतनसिंह उर्फ छोटेलाल** पुत्र श्यामलाल, उम्र 55 वर्ष, निवासी दौकेली, थाना मटसैना, जिला फिरोजाबाद।

2– **संतोष** पुत्र श्री नत्थीलाल, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी दौकेली, थाना मटसैना, जिला फिरोजाबाद।

3– **बबलू उर्फ विमल**, पुत्र श्री रतनसिंह, उम्र 32 वर्ष, निवासी दौकेली, थाना मटसैना, जिला फिरोजाबाद।

4–**सुनील** पुत्र रतन सिंह, उम्र 28 वर्ष, निवासी दौकेली, थाना मटसैना, जिला फिरोजाबाद।

5–**मुकेश कुमार** पुत्र श्री आशाराम, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी दौकेंली, थाना मटसैना, जिला फिरोजाबाद। ––––––––––––––––– अभियुक्त।

मु०अ०सं०–203/2018

धारा–366, 368, 506 भा०दं०सं०

थाना–मटसैना , जिला फिरोजाबाद।

–: निर्णय :–

1– प्रस्तुत सत्र परीक्षण संख्या–1555/2020, राज्य बनाम बबलू उर्फ विमल कुमार आदि , मु०अ०सं०– 203/2018 अन्तर्गत धारा–366, 368, 506 भा०दं०सं० न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 06.11.2020 को सत्र सुपुर्द करने के उपरांत इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुई।

घटना का विवरण

दिनांक	**महत्वपूर्ण घटना**
14.06.2018	वादी मुकदमा तिलक सिंह द्वारा न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं. 06, फिरोजाबाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं०

Digitally signed by SHYAM BABU
Date: 2026.07.28 15:46:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

31.07.2018	न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० में आदेश वास्ते अभियोग पंजीकृत कराने के उपरांत दिनांक 31.07.2018 को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।
20.01.2020	अभियुक्तगण छोटेलाल उर्फ रतन सिंह, पंडित उर्फ सुनील के विरूद्ध अंतर्गत धारा 366, 368, 506 भा०दं०सं० व अभियुक्तगण बबलू उर्फ विमल कुमार, मुकेश जाटव, संतोष के विरूद्ध अंतर्गत धारा 366, 506 भा०दं०सं० आरोप पत्र तैयार किया गया।
05.02.2020	न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।
06.11.2020	न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद, द्वारा पत्रावली उपार्पित की गयी।
21.01.2021	अभियुक्तगण बबलू उर्फ विमल कुमार, मुकेश जाटव, संतोष, छोटेलाल उर्फ रतन सिंह व पंडित उर्फ सुनील के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया।
08.02.2023, 05.04.2023, 20.04.2023	साक्षी पी. डब्लू, –1 तिलक सिंह की मुख्य परीक्षा पूर्ण व प्रतिपरीक्षा का पूर्ण अंकित की गयी।
03.07.2023	साक्षी पी. डब्लू, 2– अनीता देवी की मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा अंकित की गयी।
24.08.2023, 31.10.2023	साक्षी पी. डब्लू, –3 उ०नि० राम किशन सिंह की मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा पूर्ण।
03.01.2024	साक्षी पी.डब्लू. 04 हेड कां. अमित कुमार की मुख्य परीक्षा पूर्ण व प्रतिपरीक्षा जारी।
19.10.2024	साक्षी पी.डब्लू. 05 साक्षी निरीक्षक सर्वेश कुमार की मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा पूर्ण।
20.02.2025	साक्षी पी.डब्लू. 06 उ०नि०गौरी शंकर की मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा पूर्ण।
10.03.2025	बयान अभियुक्तगण अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं०

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा तिलक सिंह ने 1. छोटेलाल उर्फ रतन सिंह, 2. बबलू उर्फ विमल, 3. पंडित उर्फ सुनील, 4. मुकेश जाटव, 5.संतोष व 6.जयप्रकाश के विरूद्ध न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं06 फिरोजाबाद में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3)दं०प्र०सं० प्रस्तुत किया गया, उक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा थानाध्यक्ष मटसैना को मुकदमा पंजीकृत कराने हेतु आदेशित किया जिस पर मुकदमा अपराध सं. 203/2018 अंतर्गत धारा 363, 368, 506 भा०दं०सं० में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

3– उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत होने के उपरांत पुलिस द्वारा विवेचना की गयी। अभियुक्त जयप्रकाश की नामजदगी गलत पाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण बबलू उर्फ विमल, मुकेश जाटव, संतोष के विरूद्ध अंतर्गत धारा 366,506 भा०दं०सं व अभियुक्तगण पंडित उर्फ सुनील, छोटेलाल उर्फ रतन सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 366,368 भा०दं०सं० प्रेषित किया।

4– अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये और उन्होंने अपनी जमानत करायी तथा दिनांक 21.01.2021 को उनके विरूद्ध संबंधित धारा में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

5– पत्रावली में अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में निम्न साक्षियों को परीक्षित कराया गया।

क्र.सं.	साक्षी	साक्षी का विवरण	साबित प्रपत्र
1.	**पी०डब्लू–1**	तिलक सिंह (वादी मुकदमा)	प्रार्थना पत्र प्रदर्श क–1
2.	**पी०डब्लू–2**	अनीता देवी (वादी मुकदमा/अपहृता की मां)	साक्षी
3.	**पी०डब्लू–3**	उ०नि०रामकिशन सिंह (विवेचक)	नक्शा नजरी प्रदर्श क–2
4.	**पी०डब्लू–4**	एच.सी. 1947 अमित कुमार	चिक एफ.आई.आर प्रदर्श क–3, जी०डी०प्रदर्श क–4
5.	**पी०डब्लू–5**	निरीक्षक सर्वेश कुमार (विवेचक)	आरोप पत्र प्रदर्श क–5
6.	**पी०डब्लू–6**	उ०नि०गौरीशंकर पटेल (विवेचक)	सी०डी वस्तु प्रदर्श–1

6– अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरांत अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें उन्होंने अभियोजन कथानक से इंकार किया गया और यह कहा कि उन पर गलत आरोप लगाया है, गवाहों द्वारा गलत प्रपत्र साबित किये है, उसके खिलाफ मुकदमा रंजिशन चला है, सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया।

7– पत्रावली में राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) और अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

– विश्लेषण व निष्कर्ष –

8– उपरोक्त संदर्भित अपराध के विषय में विश्लेषण हेतु प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में धारा 354(1) (बी) दं०प्र०सं० के दृष्टिगत न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अवधार्य बिंदु विरचित किये जाते हैं–

8.1– क्या दिनांक 01.06.2018 समय रात 08.00 बजे वादी की पुत्री प्रियंका का अपहरण अभियुक्तगण द्वारा किया गया था ?

8.2– क्या दिनांक 07.06.2018 समय रात 12.00 बजे ग्राम दौंकेली, थाना मटसैना में अभियुक्तगण, वादी मुकदमा की पुत्री प्रियंका को बलपूर्वक तथा हथियारों के बल पर उठाकर ले गये तथा उसे छिपाकर रख दिया, जिससे आज तक उसकी पुत्री नहीं मिली है ?

9– **बचाव तर्कः–**

1– प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंबित है, तथा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3)दं०प्र०सं० न्यायालय के आदेश से दर्ज की गयी है।

2–यदि अभियुक्तगण को अपहृता का अपहरण करना होता, तो पहली बार ही अपहरण कर उसे गायब कर सकते थे।

3–कथित प्रथम अपहरण के पश्चात् स्वयं अपहृता द्वारा थाने में ले जाये जाने पर यह बयान दिया था कि अभियुक्तगण द्वारा उसका अपहरण नहीं किया गया बल्कि अभियुक्तगण को फंसाने के लिए उसके पिता वादी मुकदमा द्वारा अपहरण की कहानी बनायी गयी है।

4–अभियोजन की ओर से वादी एवं उसकी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी तथ्य के साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी की माता घटना के समय घर में मौजूद थी।

5–वादी एवं उसकी पत्नी का साक्ष्य में यह कथन है कि उन लोगों ने घटना दिनांक 07.06.2018 को हुए अपहरण के बाद शोर मचाया, किंतु कोई नहीं आया, तो फिर प्रश्न उठता है कि अभियुक्तगण के चले जाने के पश्चात् उन लोगों ने पडोसियों को घटना की सूचना दरवाजा खटखटाकर या अन्य तरीके से क्यों नहीं दी। यहां तक कि पुलिस को भी कोई सूचना नहीं दी गयी।

6–वादी की पत्नी ने पुलिस को दिये गये बयान तथा न्यायालय में दिये गये साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि वादी घटना दिनांक 07.06.2018 को घर पर नहीं था, जबकि वादी ने झूठ बोलते हुए विवेचक को तथा न्यायालय में यह कहा है कि वह घटना दिनांक को घर में सो रहा था।

7–अभियोजन द्वारा अपहृता की मौसी का बयान अंकित नहीं किया गया और न ही उसे न्यायालय में परीक्षित कराया गया जबकि वह एक महत्वपूर्ण साक्षी थी, जिसके पास पहले कथित अपहरण के पश्चात् अभियुक्तगण ने उसे छोड़ा था।

8–तमाम स्वतंत्र साक्षीगण के पुलिस को दिये गये इस बयान कि स्वयं वादी ने अपहृता को

दिल्ली में रहने वाले अपने भाई की मदद से कहीं छुपा रखा है, पुलिस द्वारा दिल्ली जाकर उसके भाई के पूछताछ करने का कोई प्रयास नहीं किया गया और न ही वादी एवं उसके भाई या अभियुक्तगण के मोबाइल की सी०डी०आर प्राप्त की गयी।

10– **अभियोजन तर्कः–**

1–पुलिस द्वारा मुकदमे को पंजीकृत न किये जाने के उपरांत वादी द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत 156(3)दं०प्र०सं० के द्वारा मुकदमे को पंजीकृत कराया है, इससे साबित है कि पुलिस अभियुक्तगण को लाभ पहुंचाने के पक्ष में थी।

2–अपहृता के पिता वादी मुकदमा व उसकी माता द्वारा घटना को साबित किया है, उपरोक्त दोनों साक्षीगण के बयानों में छोटी–मोटी विसंगतियां आने से अभियोजन कथानक व बयान की सत्यता प्रभावित नहीं होती है।

3–अपहृता के माता पिता के अतिरिक्त अन्य कोई स्वतंत्र साक्षी इसलिए परीक्षित नहीं कराये जा सके क्योंकि आजकल के व्यस्त युग में कोई भी अन्य व्यक्ति न्यायालय में गवाही देने व कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने को अनुकूल नहीं मानते।

4–अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज अन्य मुकदमे के विचारण में अपहृता गवाह थी, जिसकी रंजिश के चलते अभियुक्तगण द्वारा अपहृता के साथ घटना कारित की है, और अभी तक उसकी बरामदगी नहीं हुई है।

11– उपर्युक्त अवधारणीय बिंदुओं पर न्याय निर्णयन हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट, वादी एवं उसकी पत्नी के बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं एवं न्यायालय में अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण के साक्ष्य पर दृष्टिपात किया जाना आवश्यक है–

<u>प्रथम सूचना रिपोर्टः–</u>

12– "प्रार्थी गॉव दौंकेली थाना मटसैना जिला फिरोजाबाद में रहता हूँ मेरे भाई ने अ० सं० 217/2017 अं० धा0 323,326, आई 0 पी० सी० थाना मटसैना में बबलू, पण्डित, दुर्गेश, सीटू के विरूद्ध पंजीकृत कराया था जिसमें मेरी पुत्री प्रियंका गवाह थी । घटना दिनांक 01.06.2018 रात्रि करीब 8:00 बजे की है मेरी पुत्री प्रियंका उम्र करीब 17 वर्ष शौच के लिए गयी थी उसी समय छोटेलाल उर्फ रतन सिंह पुत्र श्यामलाल, बबलू उर्फ विमल पुत्र रतम सिंह, पण्डित उर्फ सुनील पुत्र रतन सिंह, मुकेश जाटव पुत्र नामालूम, सन्तोष पुत्र नत्थीलाल व जयप्रकाश पुत्र सुखराम निवास ग्राम चौकेली थाना मटसैना जिला फिरोजाबाद एक राय होकर मेरी पुत्री को बुरी नियत से अपहरण कर ले जाने लगे तो मेरी पत्नी अनीता देवी व मेरी माँ शान्ती देवी ने उपरोक्त लोगो को बलपूर्वक में जाते हुए देखा था । बिजली की रोशनी हो रही थी उसमे पहचाना था। यह लोग तीन मोटरसाईकिल लेकर लडकी को लेकर फरार हो गये । मेरी पत्नी व पुत्र ने शोर किया तो

कोई मदद करने के लिए नहीं आया। घटना की सूचना पुलिस को थाने में लिखकर दी तो पुलिस ने मुल्जिमानो पर दवाब बनाया तो दिनांक 3.6.2018 को रात्रि में गाँव के रास्ते पर छोड़ गये वहाँ से लडकी मौसी के यहाँ पहुँची तो दिनांक 4.6.2018 को हम पुलिस के पास लेकर थाने पहुंचे थाने से चौकी पहुँचाया गया पुलिस मुल्जिमानो से मिली हुयी है और उन्होने जॉच आख्या प्रार्थना पत्र सं० 40014718012850 पर अपनी मनगणन्त तरीके से रिपोर्ट बनाकर और मुल्जिमानो से मिलकर कार्यवाही को समाप्त कर दिया। दिनांक 7.6.2018 को रात्रि करीब 12:00 बजे मेरी पुत्री कु० प्रियंका व मैं व मेरे परिवार के लोग घर की बाउण्ड्री के अन्दर सो रहे थे। घर का दरवाजा खुला हुआ था बिजली की रोशनी हो रही थी उसी समय उपरोक्त सभी लोग मेरे घर के अन्दर घुस आये और जबरन बलपूर्वक मेरी पुत्री प्रियंका को हथियारो के बल पर उठाकर ले गये। हम यदि कुछ कहते तो हमारी हत्या कर देते । इन्होने इतना भय आतंक पैदा कर दिया कि यदि कोई कुछ कहता तो यह जान से मार देते इन लोगो ने मेरी पुत्री का अपहरण कर लिया है ।"

अभियोजन साक्ष्य

13– अभियोजन द्वारा अपने कथानक के समर्थन में वादी मुकदमा पी०डब्लू–1 **तिलक सिंह** को परीक्षित कराया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि उसके भाई कालीचरन ने उसके गाँव के निवासी बबलू, पंडित, दुर्गेश व सीटू के विरुद्ध ऊंगली काटने के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसकी लड़की प्रियंका गवाह थी। दिनांक 01.06.2018 को समय शाम 08.00 बजे करीब उसकी पुत्री प्रियंका उम्र 17 साल शौच के लिये गांव के खेत में गई थी, तभी छोटेलाल पुत्र श्यामलाल, बबलू पुत्र रतन सिंह, पंडित उर्फ सुनील पुत्र रतन सिंह व मुकेश जाटव पुत्र नामालूम, सन्तोष पुत्र नत्थीलाल, जयप्रकाश पुत्र सुखराम निवासीगण गांव दौकेली उसकी पुत्री प्रियंका को एकराय होकर बदनियती से अगवा करके ले जाने लगे। उसकी पत्नी अनीता देवी व उसकी मां शान्तीदेवी ने उक्त लोगों को बिजली की रोशनी में ले जाते हुये देखा था। दिनांक 03.06.2018 को उक्त मुल्जिमान उसकी लड़की को गाँव के रास्ते पर छोड़ गये थे। जहाँ से वह अपनी मौसी के घर चली गई थी। सूचना मिलने पर दूसरे दिन वह लड़की को लेकर थाने गये थे और अपनी बात बताई थी। दिनांक 07.06.2018 को जब वह, उसके परिवार के लोग व उसकी लड़की प्रियंका घर में सोये हुये थे तो रात को 12 बजे के करीब उपरोक्त वर्णित मुल्जिमान हथियारों के साथ जबरन बलपूर्वक उसके घर में घुसकर उसकी लड़की प्रियंका को उठा ले गये। इन लोगों ने उसे व उसके परिवारीजनों को आतंकित व भयभीत कर दिया कि यदि वे लोग कुछ कहते तो ये लोग जान से मार देते। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 3 अ/4 व 3 अ/5 वही प्रार्थना पत्र है जो उसने न्यायालय में दिया था, जिसके आधार पर उसने थाना में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इस पर उसकी निशानी अंगूठा अंकित है, जिसकी वह शिनाख्त करता है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

14– बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में वादी मुकदमा साक्षी सं. 01 ने कथन

किया है कि मेरे पांच बच्चे है। तीन लड़की व तीन लड़के हैं। लड़की प्रियंका सबसे बड़ी, दूसरे नंबर पर लड़का मनोज, तीसरे नंबर पर लड़का बबलू, चौथे नंबर पर लड़की कल्लो, पांचवें नंबर पर लड़की बीनू, छठवे नंबर पर बीकेश सबसे छोटा है। बीकेश पांचवीं क्लास में पढ़ता है जो करीब 15–16 वर्ष का है। मेरे सभी बच्चों में दो–दो साल का अंतर है। मेरी बेटी प्रियंका सांतवे या आठवें तक पढ़ी है। किस स्कूल में पढ़ी है, मैं नहीं बता सकता। मुझे नहीं मालूम कि स्कूल में प्रियंका की जन्मतिथि कितनी लिखी है। मेरी पुत्री की उम्र के संबंध में मैने पुलिस को कोई कागज नहीं दिया था। मेरे अलावा मेरे मकान में मेरे भाई कालीचरन रहते है जो मुझसे बड़े हैं तथा अविवाहित हैं। मेरे घर में घटना के समय शौचालय नहीं बना था। मेरा मकान गांव के दक्षिण दिशा में लगभग बीच में है। मेरे घर के पूरब दिशा में चिराग का मकान है। मेरे घर के पश्चिम दिशा सतीश वकील साहब का मकान है उनके मकान से लगे हुए पचासों मकान है। गली चिराग के घर से निकलते हुए नगला मुल्ला की तरफ जाती है। उत्तर–दक्षिण दिशा में भी मकान बने हुए हैं। मैं उनके नाम नहीं बता सकता क्योंकि मैं दिल्ली में रहकर हलवाई का काम करता हूं। दो–ढाई माह बाद घर आता हूं। मैं हलवाई की दुकान पर नौकरी करता हूं। मेरी पत्नी व बच्चे दौंकेली में ही रहते हैं। घटना के समय मैं गांव मे ही रहता था। मैं नहीं बता सकता कि मेरी बेटी किसके खेत में शौच के लिए गयी थी और घर से खेत 50–60 मीटर दूर था। जिस खेत में मेरी पुत्री शौच के लिए गयी थी उस खेत के पास मेरे गांव के जितेन्द्र व थानसिंह का मकान है। गांव से बाहर केवल यही दो मकान है। अन्य कोई मकान नहीं है। मेरी बेटी रात को आठ बजे शौच को गयी थी। उसकी मां व दादी भी साथ गयी थी। दादी की उम्र करीब 70 वर्ष की होगी। मेरी माताजी चश्मा नहीं लगाती है। मेरे व संतोष के मकान के बीच 50–60 फुट की दूरी है। इस बीच में पांच छः मकान बने है। मेरे घर से मुकेश का मकान 200–250 फुट दूर है। इस बीच में काफी मकान है। घटना दिनांक 01.06.2018 के समय पड़ोसी जितेन्द्र व थान सिंह के घर से कोई भी निकलकर नहीं आया था। मेरी जितेन्द्र व थान सिंह से कोई रंजिश नहीं है। दिनांक 01.06.2018 की घटना की रिपोर्ट करने 04.06.2018 को गये थे। एस.पी., डी.एम आदि उच्च अधिकारियों में आई.जी. साहब, आगरा को रिपोर्ट की गयी, उसकी कोई नकल पत्रावली पर दाखिल नहीं की है क्योंकि मैंने मौखिक शिकायत आई.जी आगरा से की थी। मेरी लड़की को दिनांक 01.06.2018 को ले गये थे और वह दिनांक 04.06.2018 को वापस अपनी मौसी के घर वजीरपुर(जेहलपुर) में मिली थी। मैं अपनी लड़की को लेकर रिपोर्ट करने आई.जी के यहां ले गया था, उस पर कार्यवाही हुई थी। कार्यवाही पर संतोष, बबलू, मुकेश, विमल व छोटेलाल पकड़े गये थे। यह सभी मुल्जिमान दिनांक 04.06.2018 को पकड़ लिये गये थे। उस समय जेल नहीं भेजे थे। मेरी लड़की मेरे घर पर थी, दुबारा दिनांक 07.06.2018 को समय 12.00 बजे रात में 5 मुल्जिमान घर में घुस गये। मेरी पुत्री को 3 मोटरसाइकिल पर मुल्जिमान ले गये थे। मोटर साइकिल का नंबर नहीं बता सकता। एस मोटर साइकिल काले रंग व एक लाल रंग की थी। तीसरी

फिरोजी रंग की थी। काली वाली मोटर साइकिल पर बीच में बैठाकर ले गये थे। दिनांक 01.06.2018 व 07.06.2018 दोनों ही दिन बबलू ने मेरे घर का दरवाजा घर के अंदर से खोला था। मेरे दरवाजे में कुंडी लगी थी। यह बात सही है कि मैंने अपनी तहरीर में दिनांक 07.06.2018 को रात्रि 12.00 बजे, मेरी पुत्री प्रियंका व मैं व मेरे परिवार के लोग घर की बाउंड्री के अंदर सो रहे थे और घर का दरवाजा खुला हुआ था। यह बात मैंने अपनी तहरीर में लिखवायी है। मेरी तहरीर में दरवाजा खुला होने वाली बात गलत लिखी है। पुलिस ने मेरा बयान दर्ज किया है। मैंने पुलिस को अपने बयान में यह बात बतायी थी कि मेरी तहरीर में दरवाजा खुले होने वाली बात गलत लिख गयी है या मैंने गलत लिखा दी है। तहरीर दरोगा जी से लिखवायी है। तहरीर दिनांक 07.06.2018 को अपने घर पर लिखवायी थी। क्योंकि दरोगा जी मेरे घर पर आये थे। तहरीर लिखने के डेढ़ महीने बाद मेरा बयान लिखा था। मैंने अपनी बेटी का कोई मेडिकल नहीं कराया और न ही पुलिस ने कराया था। काली चरन वाले मुकदमे में मुकेश व संतोष के खिलाफ भी नाम अंकित कराये हैं। यह बात सही है कि मेरे भाई ने अपराध सं. 217/2017 धारा 323, 236 भा०दं०सं० थाना मटसैना में अभियुक्त बबलू, पंडित, दुर्गेश व सीटू के विरूद्ध लिखवाया है जिसमें मुकेश व संतोष का नाम नहीं लिखवाया है। मुल्जिमों में से बबलू व पंडित के पास हथियार तो थे लेकिन यह नहीं मालूम कि क्या हथियार थे। मेरे मकान की बाउंड्री करीब सात फीट ऊंची है। मुल्जिमान जमुना की साइड में चले गये थे। पीछा मैंने किया था। गांव वालों ने मुल्जिमान का पीछा नहीं किया था। एन.एच–2 से दौकेली डेढ़ कोस दूर है। मैं नहीं बता सकता कि एन.एच–2 से दबरई व दौंकेली मौजा में है। दबरई पर पुलिस चौकी है। घटना वाली रात हम तीन–चार लोग पुलिस चौकी पर आये थे। मेरी बीबी व बच्चे आये थे। मेरी पुत्री चूड़ी झलाई का काम गांव के सत्यभान के यहां करती थी। मुकेश के घर पर भी चूड़ी का होता है तथा संतोष के घर पर भी होता है। मैं भी चूड़ी का काम कर लेता हूं। यह कहना गलत है कि मैं व मेरी लड़की अभियुक्त मुकेश व संतोष के यहां मजदूरी पर चूड़ी का काम करते हैं। यह कहना भी गलत है कि अपने व अपनी पुत्री के काम के एडवांस के रूप में बीस हजार रुपये लिये हो और काम करने न गये हो और रूपये मांगने पर मुकदमे में झूठा फंसा दिया हो। यह कहना गलत है कि जैसा मैं बता रहा हूं बैसी कोई घटना न हुई हो और गांव की पार्टीबंदी व रूपये हड़पने के लिए मुकदमा में झूठा नाम लिखा दिया हो। यह कहना भी गलत है कि आज मैं न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूं। मेरी बेटी एक बार 1.06.2018 को गयी और दूसरी बार 07.06.2018 को गयी। इस बीच दिनांक 03.06.2018 को मेरी बेटी घर आ गयी थी और कहा कि मुल्जिमान ने मुझे छोड दिया। दिनांक 01.06.2018 की घटना के संबंध में मैंने थानाध्यक्ष महोदय थाना मटसैना फिरोजाबाद को प्रार्थना पत्र 04.06.2018 को दिया था जो कागज सं. 8ब/5 पत्रावली पर मौजूद है। इस प्रार्थना पत्र में जो लिखा है वह मैंने ही लिखाया था। प्रार्थना पत्र पर निशानी अंगूठा मेरा ही है। जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं। यह बात सही है कि इस प्रार्थना पत्र में मैंने दिनांक

01.06.2018 की घटना में मुल्जिमान छोटेलाल उर्फ रतन सिंह, बबलू उर्फ विमल, पंडित उर्फ सुनील, मुकेश व संतोष के नाम लिखाये थे परंतु जयप्रकाश पुत्र सुखराम का नाम नहीं लिखाया था परंतु 07.06.2018 की घटना के बाद प्रार्थना पत्र 1306.2018 को एस.एस.पी फिरोजाबाद को दिया था जो कागज सं. 8ब/4 पत्रावली पर मौजूद है जिस पर मैं निशानी अंगूठा की शिनाख्त करता हूं यह प्रार्थना पत्र मैंने श्री शशि पाराशर एडवोकेट के बस्ते पर टाइप कराया था। वकील साहब ने प्रार्थना पत्र बनबाकर मेरा अंगूठा लगवा लिया था और इस प्रार्थना पत्र में 01.06.2018 की घटना में जयप्रकाश का नाम और बढ़ा दिया था। मेरे 04.06.2018 के प्रार्थना पत्र में मुल्जिमान के नाम गलत लिखे थे, दिनांक 13.06.2018 में सही लिखे थे, दिनांक 04.06.2018 के प्रार्थना पत्र में मुल्जिमान के नामों की क्यों गलती हो गयी मैं नहीं बता सकता, वकील साहब बता सकते हैं। यह बात सही है कि दिनांक 13.06.2018 के प्रार्थना पत्र में यह बात अंकित नहीं है कि 04.06.2018 के प्रार्थना पत्र में मुल्जिमान के नाम लिखने में क्यों गलती हो गयी। यह बात सही है कि दरोगा ने मेरा बयान दिनांक 03.08.2018 को घटना के लगभग दो माह बाद लिया था। उन्होंने भी मुझसे प्रश्न करके पूछा था कि आपने 04.06.2018 की प्रार्थना पत्र में जयप्रकाश का नाम नहीं लिखाया था और 13.06.2018 के प्रार्थना पत्र में लिखाया था, इसका कारण क्या है। मैं नहीं बता सकता कि इसका कारण क्या है दिनांक 13.06.2018 का प्रार्थना पत्र दो अधिकारियों को आगरा भेजा था एक को या कितनों को फिरोजाबाद भेजा था, मुझे ध्यान नहीं है। इस स्तर पर गवाह को ए.डी,जी.सी की मौजूदगी में प्रार्थना पत्र 03.06.2018 दिखाया गया तो गवाह ने कहा कि प्रार्थना पत्र पर नहीं लिखा है कि प्रार्थना पत्र की कोई प्रति आगरा के किसी अधिकारी को भेजी गयी। दिनांक 13.06.2018 का प्रार्थना पत्र रजि० डाक से भेजा गया था परंतु डाक की रसीदे न तो पत्रावली पर उपलब्ध है और न ही आज में साथ लाया हूं दिनांक 13.06.2018 के प्रार्थना पत्र का कोई उल्लेख मेरे 156(3) दं०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र प्रदर्श क–1 में भी नहीं है। यह कहना गलत है कि दिनांक 13.06.2018 को मेरे द्वारा कोई प्रार्थना पत्र पुलिस अधिकारियों को न दिया हो बल्कि बाद में फर्जी बना लिया गया हो। यह बात सही है कि दिनांक 07.06.2018 से 13.06.2018 तक कोई प्रार्थना पत्र किसी अधिकारी को देने का कोई सबूत न तो मेरे पास है और न पत्रावली पर मौजूद है। दिनांक 04.06.2018 को दरोगा जी ने मेरे द्वारा लड़की चौकी पर ले जाने पर लड़की का बयान मेरी गैर मौजूदगी में लिया था। दरोगा जी ने मेरे बयान में प्रश्न करके लिखा है कि आपने 04.06.2018 को अपनी पुत्र प्रियंका के अपहरण का प्रार्थना पत्र दिया था उसमें किसी गवाह का नाम घटना के समय का अंकित नहीं किया था तथा अपनी मां श्रीमती शांती व अपनी पत्नी द्वारा बिजली की रोशनी में देखना अंकित किया था। इस प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि साहब मैं अनपढ़ हूं, मेरे वकील साहब ने एफ.आई.आर लिखवाई है ,मुझसे तो अंगूठा लगवाया था। यह सही है कि प्रार्थना पत्र मेरे वकील साहब ने एफ.आई.आर हेतु लिखवाया था, मैंने अंगूठा लगाया था। मेरे बयान

में विवेचक ने यह भी प्रश्न कि करके लिखा है कि आप दिनांक 04.06.2018 को पुलिस चौकी सिविल लाइन पर अपनी पुत्र प्रियंका को लेकर आये थे तो उसने तो किसी का नाम अपहरण कर ले जाने वालों में नहीं बताया था बल्कि आपके द्वारा जबरदस्ती बबलू, विशाल व सुनील का नाम कहलवाने को तथा न कहने पर मारपीट करने को बताया था, उत्तर में लिखा है कि मैं चुप रहा। इस संबंध में मेरा कहना है कि मैंने कोई मारपीट नहीं की। लड़की का बयान दरोगा जी ने अकेले में लिया था, जो बताया होगा वह दरोगा जी को बताया होगा। मुझसे तो दरोगा जी ने बाहर आकर लड़की के सामने बताया था कि यह किसी का नाम नहीं ले रही है। फिर मैं लड़की को घर ले आया। लड़की ने बाद में नाम दूसरे दिन यानी 05.06.2018 को मुझे बताये थे यह बात मैंने अपने 156(3) दं०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र में लिखा दिया था कि लड़की ने दिनांक 04.06.2018 तक को अपहरण कर्ताओं के नाम नहीं बताये थे, अपने दरोगा जी को दिये बयानों में भी लड़की ने अपहरणकर्ता मुल्जिमों के नाम दरोगाजी को नहीं बताये थे, परंतु बाद में 05.06.2018 को लड़की ने अपहरण करने वालों के नाम मुझे बता दिये थे। दिनांक 05.06.2018 को नाम बताने वाली बात मैंने 156(3)दं०प्र०सं के प्रार्थना पत्र में लिखा दी थी, अगर नहीं लिखी है तो इसकी वजह नहीं बता सकता। दिनांक 05.06.2018 को जब लड़की ने अपहरण करने वालों के नाम हमे बताये तभी पहली बार हमे पता चला कि उसे 03.06.2018 को कौन अपहरण करके ले गया। दिनांक 07.06.2018 की घटना मैंने बिजली की रोशनी में देखी। बिजली का बल्ब कहां लगा था, नक्शे में नहीं दर्शाया गया है। नक्शा मेरी ही निशानदेही पर बना था, डोरी पर बल्ब लगा था, चटकनी लगी थी, बल्ब, डोरी, चटकनी पुलिस ने कब्जे में नहीं ली थी। लिखापढ़ी कर ली थी तथा मेरा अंगूठा लगवालिया था, परंतु पत्रावली पर बल्ब, डोरी चटकनी की कोई लिखापढ़ी मौजूद नहीं है। दिनांक 07.06.2018 को जब मुल्जिमान मेरी लड़की को बलपूर्वक हथियारों के बल पर उठाकर ले जा रहे थे तब हम लोगों ने शोर मचाया था लेकिन मौहल्ले वाले जागे नहीं थे। हम लोगों ने 15–20 मिनट शोर मचाया था। मैंने अपने 156(3)दं०प्र०सं में अंतिक कराया है कि उसी समय उपरोक्त सभी लोग मेरे घर के अंदर घुस आये और जबरन, बलपूर्वक मेरी पुत्री प्रियंका को बलपूर्वक उठाकर ले गये हम यदि कुछ कहते तो हमारी हत्या कर देते। इन्होंने इतना भय आतंक पैदा कर दिया कि यदि कोई कुछ कहता तो जान से मार देते। परंतु मैंने न्यायालय में बयान दिया है कि हम लोगों ने 15–20 मिनट शोर मचाया। इन दोनों बातों में 156(3) दं०प्र०सं के प्रार्थना पत्र में लिखी चुप रहने वाली बात सही है शोर मचाने वाली बात गलत है। दिनांक 07.06.2018 से आज तक मेरी लड़की का पता नहीं चला है। मैं बादशाह को जानता हूं, किशन स्वरूप, हरचरनलाल, रमन, सोनू कुमार, राममहेश, किशन कुमार, विनय बाबू, बीरपाल सिंह, राजकुमार, सत्यवीर, दयाशंकर, नाहर सिंह, राजप्रकाश, भैंरोसिंह, रामसेवक, विपिन कुमार, ओमप्रकाश, महावीर सिंह निवासीगण दौंकेली थाना मटसैना को जानता हूं, ये लोग मेरे गांव व पड़ोसी है। इन लोगों के बयान पुलिस ने हमारी

मौजूदगी में लिये थे। गांव वाले अगर यह कह रहे हैं कि हमने लड़की को मुकदमाबाजी की रंजिश के कारण कहीं छिपा दिया है और मुकदमाबाजी की रंजिश के कारण हम लोग मुल्जिमान को झूठा फंसा रहे हैं, तो यह लोग गलत कह रहे हैं। यह बात सही है कि मेरे भाई कालीचरन व मुल्जिमान के बीच दोनों तरफ से मुकदमाबाजी की रंजिश है। मैंने गांववालों के खिलाफ शिकायत नहीं की थी, कि गांव वाले हमारे खिलाफ गवाही क्यों दे रहे हैं। यह कहना गलत है कि मैंने झूठा मुकदमा लिखाया हो व मैं झूठी गवाही दे रहा हूं।

15– पी०डब्लू०–2 अनीता देवी द्वारा न्यायालय में दिये साक्ष्य जिसमें उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि उसकी लड़की का नाम प्रियंका है वह दिनांक 01.06.2018 को रात्रि के समय शौच के लिये खेत में गई थी। जहाँ से उसे बबलू उर्फ विमल, सुनील उर्फ पंडित, छोटेलाल, सन्तोष, मुकेश, जयप्रकाश इन लोगों ने हमला किया और पकड़ कर ले गये। दिनांक 03.06.2018 को उसकी लड़की को ये लोग गांव बजीरपुर जैहलपुर छोड गये थे। उसकी लड़की उसकी बहिन शारदादेवी के यहाँ मिली थी। वहाँ से सूचना आई इस पर वह अपनी लड़की को घर ले आये थे। उसके बाद 07 तारीख को रात को बारह बजे करीब वह लोग अपने घर के आंगन में सो रहे थे तभी बबलू उर्फ विमल, व सुनील उर्फ पंडित दीवाल फांद कर उसके घर में घुस आये थे। इन लोगों ने उसकी लड़की को पकड़ा और दोचा और कहा उसके साथ गाड़ी में बैठ और चल हम जाग गये थे। इन लोगों के साथ मुकेश, छोटेलाल, जयप्रकाश, यही लोग थे। ये सब लोग उसकी लड़की को लेकर चले गये। सूचना पर पुलिस आई थी और पूछताछ की थी। उसकी लड़की का आज तक कोई पता नहीं चला।

16– उपरोक्त साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मेरे घर के आसपास वीरेन्द्र व राजेन्द्र व महेश व जगदीश और धर्मेन्द्र के घर है। मेरी बेटी शौच के लिए अकेली गयी थी, मेरी पुत्री शौच के लिए पास में गांव के किसी खेत में गई थी, जिस खेत में शौच के लिए गयी थी वह खेत किसका है मुझे नहीं मालूम। मेरे घर से वह खेत दो, तीन खेत दूर है। बीच में किसके खेत है मुझे नहीं मालूम। रात्रि आठ 08 बजे शौच के लिए गयी थी। तब मैं घर पर ही खान बना रही थी, उस समय मैं अपने घर पर अकेली थी, खेत से मुल्जिमान गांव की तरफ नहीं आये थे, गांव से दूर दिशा में ले गये थे, मैं पढी लिखी नहीं हूं, इसलिए दिशा नहीं बता सकती, मैं अपने गांव के नजदीक सरगवां व नगला मुल्ला जानते हैं, पर मैं नहीं पता किधर ले गये थे। मैं आधा घंटे बाद मैं अपनी लड़की को ढूंढने के लिये गयी थी तो लड़की मिली नहीं थी, मेरे साथ मेरे छोटे–छोटे बच्चे मैं व मेरे दो लड़के व एक लड़की प्रिंयका को ढूंढने गये थे, जब मेरी लड़की आधा घंटे तक घर पर लौटकर नहीं आयी थी तब हम लोग अपने बच्चों के साथ ढूंढने गये थे उस समय मेरे पति घर पर नहीं थे, कहीं गांव में ही बैठे थे, इसलिए मैंने अपने बेटे मनोज को बुलाने भेजा था, मुझे लड़की को ले जाने बाली बात मुहल्ले के लोगों ने बतायी थी कि मुल्जिमान तुम्हारी बेटी को ले गये

हैं। घटना बताने बालों के नाम नहीं बता सकती। मैं अपने मुहल्ले के लोगों के नाम भी नहीं जानती जिन्होंने मुझे घटना के बारे में बताया। मैंने अपने पति को ले जाने वाले मुल्जिमानों के नाम नहीं बताये थे। उन्हें अलग लोगों ने बताये थे, मेरे गांव से वजीरपुर जेहलपुर 4–5 किलोमीटर दूर है। मैं व मेरे पति प्रियंका को अपनी बहन सारदा देवी के घर दिनांक 03.06.2018 को लेने गये थे, समय मुझे याद नहीं है। 03.06.2018 को सुबह लेने गये थे, मेरी लड़की ने बताया था कि मुझे बजीरपुर जेहलपुर गांव के पास रास्ते में छोड़ गये थे। 03.06.2018 से पहले मेरी लड़की मेरे घर पर ही थी, मैं व मेरे पति दिनांक 04.06.2018 को थाने रिपोर्ट करने गये थे। थाने जब गये थे तब लिखकर ले गये यह लिखी हुई तहरीर किससे लिखवाई थी, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पति लिखवाकर लाये थे। मेरे पति ने 4–6–2018 की तहरीर में थाने पर क्या लिखकर दिया था पता नहीं। यह बात सही है कि दिनांक 01.06.2018 को गांव से ले जाते हुए मुल्जिमानों को लोगों ने देखा था उनके नाम नहीं पता उसके बाद मुल्जिमान को 03.06.2018 को बजीरपुर जेहलपुर के पास मेरी लड़की को छोड़कर जाते हुए मुल्जिमान को किसी ने नहीं देखा था। ये बात सही है कि दिनांक 07.06.2018 को मेरे घर की दीवाल फांद कर बबलू उर्फ विमल व सुनील उर्फ पंडित मेरे घर में घुस कर आये थे, मेरा बयान दरोगा जी ने लिया था, परंतु मेरे बयान में दरोगा जी लिखा है कि एक व्यक्ति दीवाल से चढ़कर आया था। दरोगा जी द्वारा मेरे बयान में ये गलत लिखा है कि एक व्यक्ति दीवाल पर चढ़कर आया बल्कि सही बात ये है कि दीवाल से चढ़कर दो व्यक्ति आये थे, दरोगा जी ने गलत बयान क्योंकि लिख दिया, इसकी वजह मैं नहीं बता सकता। मैंने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि मेरे घर में घुस कर आये लोगों ने लड़की को पकड़ा और दबोचा और कहा कि मेरे साथ गाड़ी में बैठ और चल **परंतु ये बात मेरे 161 दं०प्र०सं बयान में नहीं लिखी है, क्यों नहीं लिखी। इसकी बजह नहीं बता सकती।** इन लोगों बबलू उर्फ विमल व सुनील उर्फ पंडित केसाथ के लोग मुकेश, छोटेपाल व जयप्रकाश गली में बाहर खड़े रहे। मेरी लड़की को सुनील उर्फ पंडित ने गाड़ी पर बैठा किया था और बबलू उर्फ विमल चला रहा था ये सब लोग चार मोटर साइकिल पर थे, **मैंने दरोगा जी को बता दिया था कि चार मोटर साइकिलों पर थे। मगर दरोगा जी ने मेरे बयान में मुल्जिमानों के पास दो मोटर साइकिलों को होना दिखाया है जो गलत लिखा है। ऐसा क्यों लिख दिया। इसकी बजह नहीं बता सकती।** जिस समय 07.06.2018 को मेरी पुत्री को ले जाया गया था उस समय पुत्री के पास में सो रही थी मेरी सास शांती देवी सो रही थी, **ये बात सही है कि मेरे 161 दं०प्र०सं० के बयान अनुसार परिवार के किसी सदस्य का सोना या मौजूद होने का उल्लेख मेरे 161 दं०प्र०सं० के बयान में होना अंकित नहीं है।** उन दिनों मेरे पति दिल्ली में हलवाई की नौकरी करते थे और वही रहते थे। जब मुल्जिमान हमारी लड़की को ले जा रहे थे, तब मैंने मुहल्लेवालों को आवाज लगायी थी, कोई आया नहीं था। लड़की को मुल्जिमान द्वारा ले जाने वाली बात पुलिस को सूचना दो तीन दिन बाद की थी। दो तीन दिन बाद सूचना सोच समझकर की थी, हमारे घर से

हमारे पति के आने पर सोच समझकर पूछताछ कर की थी। ये बात सही है कि इस घटना के एक साल पहले मुल्जिम पक्ष के लोगों ने हमारे परिवारजन के खिलाफ मुकदमा लिखाया था, फिर हमारे जेठ कालीचरन व हमने इन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाये। **घटना को मैंने बिजली की रोशनी में देखना हमने पुलिस को नहीं बताया था, पुलिस ने मेरे बयान में घटना के समय बिजली की रोशनी होना कैसे लिख दिया, इसकी बजह मैं नहीं बता सकती।** संतोष चूड़ी का काम करते हैं, मेरे पति भी चूड़ी का काम करते थे, यह कहना गलत है कि मेरी पुत्री प्रियंका अभियुक्त संतोष के पर चूड़ी का काम करती हो, यह कहना गलत है कि यह पति व मेरी पुत्री प्रियंका ने अभियुक्त संतोष से चूड़ी का काम करने के लिए एडवांस के 20 हजार रुपये किया हो तथा काम न करने के कारण एडवांस मांगा हो और रुपये न देने पर मुल्जिमानों को झूठा फंसा दिया हो यह कहना गलत है कि गांव की पार्टीबंदी एवं रंजिश के कारण मुकेश कुमार व संतोष एवं अन्य मुल्जिमान को झूठा फंसा दिया हो। यह भी कहना गलत है कि मैं जिस प्रकार से बता रही हूं, इस प्रकार की कोई घटना न हुई हो। यह कहना गलत है कि आज माननीय न्यायालय में झूठी गवाही दे रही हूं।

17– पत्रावली में अभियोजन की तरफ से परीक्षित **पी०डब्लू०–3 उ०नि० रामकिशन सिंह** को परीक्षित कराया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि दिनांक 01.08.2018 को वह चौकी सिविल लाइन थाना मटसैना में बतौर उ०नि० तैनात था। मु०अ०सं० 203/2018 धारा–363, 366, 506 भा०दं०सं० बनाम छोटेलाल उर्फ रतनसिंह आदि थाना पर दिनांक 31.07.2013 को न्यायालय के आदेश से पंजीकृत हुआ था। इस अभियोजन की विवेचना उसे दिनांक 01.08.2018 को प्राप्त हुई थी। उसके द्वारा पर्चा नं० 1 दिनांक 01.08.2018 को किता किया गया जिसमें नकल चिक, नकल रपट, नकल आदेश, बयान एफ०आई०आर० लेखक अमित कुमार अंकित किये गये। पर्चा नं० 2 दिनांक 02.08.2018 को किता किया जिसमें एफ०आई०आर० के वादी मुकदमा तिलक सिंह व गवाहान अनीता, श्रीमती शान्ती देवी को बयान हेतु तलाश किया तथा अभियुक्तगण को भी तलाश किया लेकिन नहीं मिले। पर्चा नं० 3 दिनांक 03.08.2018 को किता किया जिसमें वादी तिलक सिंह, अनीता देवी व शान्ती के बयान अंकित किये। पर्चा नं० 4 दिनांक 08.08.2018 को किता किया जिसमें गवाहान रमेश चन्द्र पुत्र कुन्दन लाल, रमेश चन्द्र पुत्र स्व० रामभरोसे लाल के बयान अंकित किये। पर्चा नं० 5 दिनांक 19.08.2018 को किता किया जिसमें स्वतन्त्र साक्षी किशन स्वरुप, बादशाह के बयान अंकित तथा अपहृता व अभियुक्तगण को तलाश किया। इसके उपरान्त उसका स्थानान्तरण हो गया तथा विवेचना उ०नि० गौरी शंकर पटेल द्वारा की गई। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 5 अ नक्शा नजरी घटनास्थल उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह शिनाख्त करता है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

18– उपरोक्त साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया

है कि दारा 156(3) दं०प्र०सं० का प्रार्थना पत्र टाइपशुदा था, मैंने धारा 156(3)दं०प्र०सं० प्रार्थना पत्र को टाइप करने वाले टाइपिस्ट का बयान नहीं किया था, वादी का बयान मैंने दिनांक 03.08.2022 को उसके घर पर लिया था। मैंने वादी के बयान में प्रश्नोत्तर के रूप में वादी से यह प्रश्न किया है कि आप दिनांक 04.06.2018 को पुलिस चौकी सिविल लाइन्स पर अपनी पुत्री प्रियंका को लेकर आये थे–––––––––– नाम कहलवाने को तथा न कहने पर मारपीट करने को बताया था इस प्रश्न के उत्तर में वादी ने कोई उत्तर नहीं दिया था, वह चुप रहा था, मैंने वादी से अगला प्रश्न यह पूछा था, कि आपको दिनांक 04.06.2018 को अपनी पुत्री प्रियंका के अपहरण का जो प्रार्थना पत्र दिया था––––––– देखना अंकित किया है, ऐसा क्यों? नक्शानजरी मैंने वादी की निशानदेही पर बनाया था, घटना के समय वादी ने अपने बयान में यह कहा था, कि वह घटना के समय बाहर था, घर पर नहीं था, नक्शा नजरी बनाते समय मुझे वादी ने रोशनी का कोई स्त्रोत नहीं बताया था, इसलिए नक्शा नजरी में प्रकाश को स्त्रोत नहीं दर्शाया है। इस गवाह ने ग्राम बजीरपुर जेहलपुर में अपनी बहन का घर होना बताया था, इस गवाह अनीता देवी ने मुझे यह बयान दिया था, कि मेरी पुत्री मेरी बहन के घर ग्राम वजीरपुर जेहलपुर में चली गयी थी, वहां से लेकर हम थाना एवं चौकी गयी थी। मुझे अपनी विवेचना के दौरान अभियुक्त मुकेश कुमार व संतोष कुमार के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिला। वादी दिनांक 04.06.2018 को पुलिस चौकी सिविल लाइन्स पर अपनी पुत्री प्रियंका को लेकर आया था तो उसने किसी का नाम अपहरण कर ले जाने में नहीं बताया था, बल्कि वादी के द्वारा जबरदस्ती बबलू उर्फ विशाल, सुनील पंडित का नाम कहलवाने का प्रयास किया था न कहने पर वादी द्वारा पुत्री की मारपीट करने का उल्लेख है। गवाह श्रीमती अनीता देवी से 161 दं०प्र०सं० के बयान के दौरान पूछा गया कि आप मुल्जिमान द्वारा अपनी पुत्री को दो बार यानी पहली दिनांक 01.06.2018 को तथा दुबारा दिनांक 03.06.2018 को अपहरण कर ले जाने कहते हो परंतु आपने कंट्रोल रूप अथवा थाना चौकी पर सूचना क्यों नहीं दो, इस पर गवाह ने कहा कि साहब मैं कुछ नहीं जानती हूं, मेरे पति व देवर बृजेश ही जानते है। गवाह रमेश चंद्र ने यह भी बताया था कि वर्ष 2017 में दोनों पक्षों में फौजदारी हो गयी थी। दोनों तरफ से एन.सी.आर लिखी गयी थी, उसके एक महीने बाद कालीचरन जो तिलक सिंह का भाई है, ने अपनी ऊंगली गड़सा से काटकर 326 भा०दं०सं की धारा बनवायी थी और अब मामूली विवाद होने पर दिनांक 04.06.2018 को अपनी लड़की से बलात्कार की झूठी रिपोर्ट लिखाने चौकी पर गया था तो पुलिस ने सी०डी बनाकर फोटो खींचकर लड़की के बयान रिकॉर्ड किये थे तो लड़की प्रियंका ने अपने बयानों में बताया था कि मेरे घर वाले पुरानी रंजिश के कारण फर्जी केस बना रहे हे, मेरे साथ किसी ने बलात्कार नहीं किया है। जब रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तो उसी दिन इसने अपनी लड़की को गायब कर दिया है। पता चला है कि दो दिन ग्राम जेहलपुर में अपनी मौसी के यहां लड़की को रखा था, फिर नगला बल्लम थाना घिरोर जिला मैनपुरी में अपनी लड़की प्रियंका को

छोड़ आये। यह बात सही है कि मौहल्ले के स्वतंत्र गवाहान के बयानात से कथित अपहरण की घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है।

19– पत्रावली में अभियोजन की तरफ से परीक्षित **पी०डब्लू०–4 एच.सी. 1947 अमित कुमार** को परीक्षित कराया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि दिनांक 31.07.2018 को वह थाना मटसैना पर बतौर सी.सी. कार्यरत था। एस०एच०ओ० के डाकपैड से प्राप्त प्रार्थना पत्र टाइप शुदा अन्तर्गत धारा 156 (3) दं०प्र०सं० आवेदक तिलक सिंह पुत्र नेतराम निवासी दौकेली थाना मटसैना के प्रा० पत्र के आधार पर मु०अ०सं० 203/2018 धारा 363, 366, 506 भा०दं०सं० बनाम छोटेलाल उर्फ रतन सिंह आदि के विरुद्ध कम्प्यूटर पर किता कर चिक एफ०आई०आर० टाइप की थी जो पत्रावली पर कागज सं० 3 अ/1 है इस पर वरिष्ट उ०नि० के हस्ताक्षर है, जिसकी वह शिनाख्त करता है, जिस पर प्रदर्श क–३ डाला गया। इस मुकदमा का खुलाशा उसने उसी दिन थाना के रोजनामचा आम में रपट नं० 41 पर सय 17.15 बजे किया था, जो पत्रावली पर कागज सं० 6 अ/6 है। वह आज मूल जी०डी० अपने साथ लेकर आया है, जिससे मिलान कर प्रमाणित करता है, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

20– पत्रावली में अभियोजन की तरफ से परीक्षित **पी०डब्लू०–5 निरीक्षक सर्वेश कुमार** को परीक्षित कराया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है किदिनांक 15.08.2019 को वह थाना मटसैना की सिविल लाइन चौकी पर बतौर चौकी प्रभारी तैनात था। उस दिनांक को उसे मु०अ०सं० 2013/2018 धारा–366 व 506 भा०दं०सं० की विवेचना प्राप्त हुई थी, जो पूर्व विवेचक उ०नि० गौरी शंकर पटेल के स्थानान्तरण के उपरान्त उसे मिली थी। उसी दिनांक को पर्चा नं० 32 उसके द्वारा किया लिया था जिसमें विवेचना गृहण एवं पूर्व विवेचक द्वारा किता सी.डी. का अवलोकन किया था। दिनांक 30.08.2019 को पर्चा नं० 33 किता किया जिसमें वादी मुकदमा तिलक राम के बयान अंकित किये। दिनांक 20.09.2019 को पर्चा नं० 34 दिनांक 11.10.2019 को पर्चा नं० 35 दिनांक 25.10.2019 को पर्चा नं० 36, दिनांक 03.11.2019 को पर्चा नं० 32, दिनाकं 04.11.2019 को पर्चा नं० 38 किता किया जिनमें अपहृता कु० प्रियंका के बारे में वादी एवं गाँव के लोगों से पूछताछ की गई। की जानकारी प्राप्त ना हो सकी। दिनांक 08.11.2019 को पर्चा नं० 39 किता किया जिसमें वादी मुकदमा तिलक राम एवं उनकी पत्नी अनीता के मजीद बयान अंकित किये जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा–368 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी की गई। दिनांक 11.11.2019 को पर्चा नं० 40 किता किता गया जिसमें अभियुक्त छोटेलाला उर्फ रतन सिंह व पण्डित उर्फ सुनील को गिरफ्तार कर उनके बयान अंकित गये। दिनांक 20.11.2019 को पर्चा नं० 41 किता किया गया जिसमें अपहात कु० प्रियंका के बारे वमें वादी मुकदमा से जानकारी की तो कोई जानकारी नहीं मिली। गांव वालों द्वारा बताया गया कि वादी की पुत्री को वादी के भाई बृजेश कुमार द्वारा कही गायब कर रखा है। दिनांक 27.11.2019

को पर्चा नं० 42 किता किया जिसमें सुनील का जमानत का रोबकार प्राप्त हुआ। दिनांक 09.12.19 को पर्चा नं० 44 किता किया जिसमें अभियुक्त बबलू उर्फ विमल का रोबकार हाजिरी प्राप्त हुआ। दिनांक 16.12.2019 को पर्चा नं० 45 किता किया जिसमें जिला कारागार में अभियुक्त बबलू उर्फ विमल का बयान अंकित किया। दिनांक 05.01.2020 को पर्चा नं० 46 किता किया जिसमें अभियुक्त सन्तोष व मुकेश को गिरफ्तार कर उनका बयान अंकित किया गया। दिनांक 19.01.2020 को पर्चा नंबर 47 किता कर अभियुक्तगण छोटेलाल उर्फ रतन सिंह के विरूद्ध 366, 368, 506 भा०दं०सं० व अभियुक्त बबलू उर्फ विमल, मुकेश जाटव, पंडित उर्फ सुनील, संतोष के विरूद्ध धारा 366, 506 भा०दं०सं० में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। पत्रावली पर संलग्न कागज सं. 4अ/1 लगायत 4अ/5 आरोप पत्र पर वह अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता है जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया।

21– उपरोक्त साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि मेरी विवेचना दिनांक 20.11.2019 पर्चा–41 में मैंने गांव वालों से पूछताछ एवं जानकारी की थी तो गांव वालों ने बताया कि वादी के भाई बृजेश कुमार ने वादी की पुत्री को कहीं गायब कर रखा है। मैंने वादी के भाई बृजेश कुमार से पूछताछ नहीं की थी और न उसका बयान अंकित किया और न बृजेश कुमार के खिलाफ मैंने कोई कानूनी कार्यवाही बृजेश कुमार दिल्ली में रहता था इसलिए मैंने अपहर्ता को बरामद करने के लिए उसके खिलाफ कोई कारयवाही नहीं की। मैने विवेचना में सत्य को छिपाने के मामले में बृजेश कुमार के परिवारवालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। कार्यवाही न करने की मैं कोई बजह नहीं बता सकता। मेरी पूरी विवेचना में लड़की की बरामदगी नहीं हुई। मैंने जो आरोप पत्र दिया है उसको घटना 07.06.2018 को रात्रि की है। यह बात सही है कि वादी द्वारा पूर्व विवेचक को 161 दं०प्र०सं के बयान में बताया था कि घटना काफी रात 07.06.2018 को मैं घर पर नहीं था रिश्तेदारी में गया था, मेरी पुत्री प्रियंका को इन्हीं लोगों ने गायब कर दिया मैंने की वादी की मजीद बयान पर्चा–33 में तत्पश्चा्त दूसरा मजीद बयान पर्चा नंबर 39 में अंकित किया है। इन दोनों मजीद बयान में भी वादी तिलक सिंह ने स्वयं को घटना का चश्मदीद गवाह होना नहीं बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि वादी घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। वादी ने मजीद बयान में घर में घुसने व लड़की को ले जाने वालों के नाम नहीं बताये थे, बल्कि यह बताया था कि दिनांक 01.06.2018 को घटना से संबंधित सभी लोग मेरी लड़की को ले गये थे, मैंने मजीद बयान में यह नहीं लिखा है कि वादी को 07.06.2018 की घटना की सूचना अथवा जानकारी किसने दी। पूर्व विवेचक को दिये बयान में पीड़िता की मां ने बयान दिया है कि 07.06.2018 की रात्रि में करीब दो बजे हम अपने घर में सो रहे थे, हमारे पास ही मेरी पुत्री प्रियंका भी सो रही थी, तथा मेरी सास श्रीमती शांदी देवी भी मेरे पास सो रही थी, गेट बंद था, आंगन में सोये हुए थे, एक व्यक्ति दीवार से चढ़कर आया था तथा दो मोटर साइकिल को बाहर खंडजा पर लिये खड़े थे जबकि मेरी विवेचना में

मजीद बयान में आया है कि उस रात घर का दरवाजा खुला हुआ था और उसी दरवाजे से मुल्जिमान चढ़कर अंदर आये थे।

22– पत्रावली में अभियोजन की तरफ से परीक्षित **पी०डब्लू०–6 उ०नि० गौरीशंकर पटेल** को परीक्षित कराया है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि मु०अ०सं० 203/2018 धारा–363, 366 व 506 भा०दं० सं० बनाम छोटेलाल आदि को विविचना दिनांक 13.09.2018 को गृहण करने हुये पर्चा नं० 6 किता किया जिसमें विवेचना में गृहण आदेश का अवलोकन किया। दिनांक 20.09.2018 को पर्चा नं० 7 किता किया जिसमें पूर्व किता केस डायरी का अवलोकन किया। दिनांक 05.10.2018 को पर्चा नं० 8 किता किया जिसमें अपहृता की सुरागरसी पतारसी की गई। पर्चा नं० 9 दिनांक 20.10.2018 को किता किया जिसमें स्वतन्त्र गवाह रमन पुत्र राजबहादुर का बयान अंकित किया। पर्चा नं० 10 दिनांक 05.11.2018 को किता किया जिसमें अपहृता की तलाश की गई। पर्चा नं० 11, 12 व 13 में अपहता की तलाश की गई। दिनांक 02.01..2019 को पर्चा नं० 14 किला किया जिसमें गवाह सोनू कुमार, रामनरेश, के बयान अंकित कियेव अपहर्ता की तलाश की। पर्चा नं० 15 दिनांक 11.01.2019 को किताकिया जिसमें वादी के पड़ोसी किशन कुमार व विनय बाबू के बयान अंकित किये। पर्चा नं० 16 दिनांक 25.01.2019 को किता किया जिसमें गवाह वीरपाल सिंह, राजकुमार, सत्यवारी, दयाशंकर के बयान अंकित किये गये। पर्चा नं० 17 दिनांक 08.02.2019 को किता किया जिसमें नाहर सिंह, राजप्रकाश, भैरों सिंह, रामसेवक, के बयान अंकित किये। दिनांक 01.03.2019 को पर्चा नं० 18 किता किया जिसमें वादी के पड़ोसी विपिन कुमार, ओमप्रकाश, महावीर सिंह के बयान अंकित किये गये। दिनांक 18.03.2019 को पर्चा नं० 19 किता किया जिसमें पूर्व विवेचक द्वारा भेजी गई वीडियो रिकार्डिंग की सी०डी० तैयार कर संलग्न केस डायरी की गई। पर्चा नं० 20 दिनांक 05.04.2019 को किता किया जिसमें वादी की तलाश तथा नोटिस चस्पा किया गया। पर्चा नं० 21 दिनांक 26.04.2019 को किता किया जिसमें वादी से अपहर्ता की फोटो उपलब्ध कराने हेतु कहा गया। पर्चा नं० 22 दिनांक 09.05.2019 को किता किया जिसमें वादी कीतलाश की गई। पर्चा नं० 23 दिनांक 16.05.2019 को किता किया जिसमें पडोसियों से वादी व वादी के परिवारीजन व रिश्तेदारों के मोबाइल नम्बर प्राप्त किये। पर्चा नं० 24 दिनांक 17.05.2019 को किता किया जिसमें वादी के मोबाइल नम्बर व अभियुक्त के मोबाइल नम्बरों की सी.डी. आर. प्राप्त करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई। पर्चा नं० 25 दिनांक 20.05.2019 को किता किया जिसमें वादी की तलाश की और सफीना चस्पा किया। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय दौकेली से अपहृता कु० प्रियंका का जन्मतिथि प्रमाणपत्र प्राप्त कर केस डायरी में संलग्न किया गया। पीड़िता की उम्र 21 वर्ष होने के कारण धारा–363 भा०दं०सं० का लोप किया गया। इसके उपरान्त बयान प्रधानाचार्य लालती पत्नी विजय कुमार के बयान अंकित किये गये। पर्चा नं० 26 दिनांक 02.06.2019 को

किता किया जिसमें अपहर्ता की तलाश हेतु सार्वजनिक स्थानों पर पम्पलेट छपवाकर चस्पा किय गये। पर्चा नं० 27 दिनांक 06.06.2019 को किता जिसमें अपहात की बरामदगी हेतु समाचारपत्र में इश्तिहार निकलवाया गया। पर्चा नं० 28 दिनांक 17.06.2019 को किता किया जिसमें अपहर्ता की तलाश हेतु रिपोर्ट डी०सी०आर०बी० को भेजी गई। पर्चा नं० 29 दिनांक 05.07.2019 को किता किया जिसमें अपहर्ता व अभियुक्तगण की तलाश की गई। पर्चा नं० 30 दिनांक 20.07.2019 को किता किया जिसमें वादी की तलाश की गई। पर्चा नं० 31 दिनांक 07.08.20198 को किता किया जिसमें वादी व अभियुक्तगण की तलाश की गई। इसके पश्चात उसका स्थानानान्तरण थाना नारखी में हो गया था। उसके द्वारा जो सी.डी. संलंगन की गई थी, वह पत्रावली पर 7 अ है जिस पर वस्तु प्रदर्श क–1 डाला गया

23– उपरोक्त साक्षी से बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि मैंने पर्चा 09 में गवाह रमन पुत्र राजबहादुर का 161 दं०प्र०सं का बयान उसके बताये अनुसार लिखा है। गवाह रमन वादी तिलक सिंह का पड़ोसी है। मुझे गवाह रमन ने बताया था कि वादी तिलक सिंह व मुल्जिम छोटेलाल पक्ष में काफी समय से मुकदमे बाजी चल रही थी। प्रियंका ने पहले अपने बयान में दरोगा जी को बयान दिया था कि मेरे साथ किसी ने बलात्कार नहीं किया, मेरे घर वाले बबलू के घर वालों को झूठा फंसाना चाहते हैं और मुझे पढ़ाकर लाये हैं परंतु मैं तो आपको सही बात बता रही हूं, मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है। गवाह सोनू कुमार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि जबकि इनकी लड़की प्रियंका अपनी रिश्तेदारी में दिल्ली में रह रही है जिसे खुद तिलक सिंह काका ने दिल्ली में छुपा दिया है। इसी पर्चे में मैंने राममहेश का बयान लिखा है यह गवाह भी वादी का पड़ोसी है। इस गवाह ने भी वही बयान दिया है जो उपरोक्त सोनू कुमार ने दिया है। मैंने पर्चा–15 में वादी के पड़ोसी किशन कुमार व विनय बाबू के बयानात अलग–अलग लिखे हैं। कई बार पंचायत हुई है। आगे यह भी कहा है कि सही बात यह है कि तिलक सिंह चाचा की लड़की प्रियंका का किसी ने अपहरण नहीं किया, मैं खुद ही अपनी रिश्तेदारी में उसे छिपाकर दिल्ली में कही रखे हुए हैं और कोर्ट के द्वारा यह मुकदमा झूठा लिखाया है। मैंने पर्चा नंबर 16 में पांच गवाहों के बयान लिखे है, इन पंच गवाहों ने अपने अलग–अलग बयानों में बताया है कि तिलक सिंह की पुत्री के अपहरण का जो मुकदमा लिखाया गया है वह झूठा है जबकि सही यह है कि प्रियंका का कोई अपहरण नहीं हुआ है वह दिल्ली में अपने रिश्तेदार के यहां रह रही है। सभी गांव के लोग यह जानते हैं। यह बात सही है कि एफ. आई.आर के कथन के अलावा मेरी विवेचना में आई मौखिक साक्ष्य से ऐसा कोई साक्ष्य प्रकाश में नहीं आया जिससे यह साबित होता हो कि प्रियंका का अपहरण हुआ हो। यह भी साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा कोई अपहण किया गया हो। मैंने अपहृती की मौसी को वजीरपुर जेदलपुर में रहती है, उसका बयान नहीं लिया था।

<u>विश्लेषण</u>

24– प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक 01.06.2018 रात 08 बजे की है, जब उसकी पुत्री शौच के लिए गयी थी तो अभियुक्तगण ने एक राय होकर उसकी पुत्री का अपहरण कर ले जाने लगे तो उसकी पत्नी अनीता व मां शांती देवी ने अभियुक्तगण को बलपूर्वक ले जाते हुए देखा था, बिजली की रोशनी हो रही थी। उक्त घटना दिनांकित 01.06.2018 के संबंध में अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० (सी०डी संख्या –3 दिनांकित 03.08.2018) में वादी ने यह कथन किया है कि मेरी पत्नी व मेरी मां ने अभियुक्त छोटेलाल, बबलू, पंडित उर्फ सुनील, मुकेश, संतोष, जयप्रकाश को बिजली की रोशनी में पहचाना था तथा शोर किया था। वादी के विपरीत उसकी पत्नी श्रीमती अनीता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं में यह कहा गया है कि दिनांक 01.06.2018 को रात्रि में उसकी पुत्री खेत में शौच को गयी थी, उसे अभियुक्तगण अपहरण कर ले गये।

25– वादी मुकदमा तिलक सिंह बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में वादी मुकदमा से प्रश्न पूछे जाने पर कि आप दिनांक 04.06.2018 को पुलिस चौकी सिविल लाइन पर अपनी पुत्री प्रियंका को लेकर आये थे तो उसने तो किसी का नाम अपहरण कर ले जाने में नहीं बताया था बल्कि आपके द्वारा जबरदस्ती बबलू उर्फ विशाल व सुनील पंडित का नाम कहलवाने को तथा न कहने पर मारपीट करने को बताया था। उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में वादी मुकदमा चुप रहा।

26– वादी मुकदमा ने न्यायालय बतौर पी०डब्लू–1 न्यायालय में कथन किया है कि उसकी बेटी जब शौच को गयी थी, तो उसकी मां व दादी साथ गयी थी, परंतु न्यायालय में बतौर पी०डब्लू–2 वादी की पत्नी साक्षी अनीता ने यह कहा है कि उसकी पुत्री रात्रि 08 बजे शौच के लिए गयी थी, तब वह घर में खाना बना रही थी, उस समय वह घर में अकेली थी, वह आधे घंटे बाद अपनी लड़की को ढूंढने के लिए गयी थी, तो लड़की नहीं मिली थी, उस समय उसके पति घर पर नहीं थे, कहीं गांव में ही बैठे थे, इसलिए अपने बेटे मनोज को बुलाने के लिए भेजा, उसे लड़की को ले जाने वाली बात मुहल्ले के लोगों ने बतायी थी, घटना बताने वालों के नाम वह नहीं बता सकती व घटना के बारे में बताने वाले मुहल्ले वालों के नाम भी नहीं जानती, उसने अपने पति को ले जाने वाले मुल्जिमानों के नाम नहीं बताये थे, उन्हें अलग लोगों ने बताये थे, स्पष्ट है कि घटना दिनांक 01.06.2018 को न तो इस साक्षी ने, न ही वादी मुकदमा ने अपने आंखों से देखा था। वादी ने बतौर पी.डब्लू–1 न्यायालय में दिये साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उसके बयान में विवेचक ने यह भी प्रश्न कि करके लिखा है कि आप दिनांक 04.06.2018 को पुलिस चौकी सिविल लाइन पर अपनी पुत्र प्रियंका को लेकर आये थे तो उसने किसी का नाम अपहरण कर ले जाने वालों में नहीं बताया था बल्कि आपके द्वारा जबरदस्ती बबलू, विशाल व सुनील का नाम कहलवाने को तथा न कहने पर मारपीट करने को बताया था, उत्तर में लिखा है कि मैं चुप रहा। इस संबंध में मेरा कहना है कि मैंने कोई मारपीट नहीं की। **लड़की का बयान दरोगा जी ने अकेले में लिया था, जो बताया होगा वह दरोगा जी को बताया होगा। मुझसे तो दरोगा जी ने बाहर आकर लड़की के सामने बताया था कि यह किसी का नाम नहीं ले रही है।**

अभियोजन द्वारा वादी की मां शांती देवी या अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा ऐसे किसी भी साक्षी को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया जिसने घटना दिनांक 01.06.2018 में हुए वादी की पुत्री के अपहरण को अपनी आंखों से देखा हो।

27– घटना दिनांक 07.06.2018 के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी का यह कथन है कि दिनांक 07.06.2018 को रात्रि करीब 12.00 बजे उसकी पुत्री, वह व उसके परिवार के लोग घर की बाउंड्री के अंदर सो रहे थे, घर का दरवाजा खुला हुआ था, बिजली की रोशनी हो रही थी, अभियुक्तगण घर के अंदर घुस आये और जबरन उसकी पुत्री को हथियारों के बल पर उठा कर ले गये। न्यायालय में बतौर पी०डब्लू–1 भी वादी का यह कथन है कि दिनांक 07.06.2018 को जब वह , उसके परिवार के लोग व उसकी लड़की प्रियंका घर में सोये हुए थे, तो रात को 12 बजे के करीब अभियुक्तगण हथियारों के साथ जबरन बलपूर्वक उसके घर में घुसकर उसकी लड़की प्रियंका को उठा ले गये । घटना वाली रात वह 3–4 लोग पुलिस चौकी पर आये थे, उसकी बीबी–बच्चे भी आये थे। परंतु उक्त साक्षी के विपरीत उसकी पत्नी अनीता ने पुलिस को दिये गये बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में यह कहा है कि दिनांक 07.06.2018 की रात्रि में करीब 12.00 बजे वे लोग घर में सो रहे थे, उसके पास ही उसकी पुत्री प्रियंका व उसकी सास श्रीमती शांती देवी सो रही थी, एक व्यक्ति दीवाल से चढ़कर आया था, तथा दो मोटर साइकिल को बाहर लिये खडंजे पर खडे थे, पी.डब्लू–2 अनीता ने दौरान प्रतिपरीक्षा यह कहा है कि जिस समय 07.06.2018 को उसकी पुत्री को ले जाया गया था, उस समय वह अपनी पुत्री के साथ सो रही थी, उसी सास शांती देवी सो रही थी, **उन दिनों उसका पति हलवाई की नौकरी करता था, और वही रहता था।** लड़की को मुल्जिमान को ले जाने वाली बात की पुलिस को सूचना 2–3 दिन बाद दी थी, 2–3 दिन बाद सूचना सोच समझकर दी थी, हमारे घर हमारे पति के आने पर सोच समझकर पूछताछ की थी। स्वयं वादी ने बतौर पी०डब्लू–1 बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि मैं हलवाई की दुकान पर नौकरी करता हूं , मैं दिल्ली में रहकर हलवाई की नौकरी करता हूं, 2–2.5 माह बाद घर आता है। पी०डब्लू–3 उपनिरीक्षक रामकृष्ण सिंह ने दौरान प्रतिपरीक्षा यह कहा है कि नक्शा नजरी उसने वादी की निशानदेही पर बनाया था। **वादी ने अपने बयान में यह कहा था कि वह घटना के समय घर से बाहर था, घर पर नहीं था।** पी०डब्लू–5 निरीक्षक सर्वेश कुमार ने दौरान प्रतिपरीक्षा यह कथन किया है कि उसके द्वारा लिये गये मजीद बयान पर्चा नंबर 33 व पर्चा नंबर 39 में वादी तिलक सिंह ने स्वयं को घटना का चश्मदीद गवाह नहीं बताया है। इस प्रकार पी०डब्लू–2 , पी०डब्लू–3 व पी०डब्लू–5 के उक्त साक्ष्य से वादी का घटना दिनांक 07.06.2018 को घटनास्थल पर होना नहीं साबित होता है। इस प्रकार घटना दिनांक 07.06.2018 को हुए अपहरण की एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी वादी की पत्नी अनीता बचती है, जिसे अभियोजन द्वारा न्यायालय में परीक्षित कराया गया है।

28– यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्षी के एकल साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धि हो सकती है, परन्तु उक्त एकल साक्ष्य का विश्वसनीय होना अतिआवश्यक है, जिसमें लेश मात्र भी संदेह की कोई परिस्थिति उत्पन्न न हो। एकल साक्ष्य के मामलों में साक्षी का Sterling Witness की श्रेणी में होना दोषसिद्धि के लिए आवश्यक है। अब न्यायालय को यह देखना है कि पी०डब्लू–2 अनीता उच्च कोटि की विश्वसनीय साक्षी है या नहीं। इस संदर्भ माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निम्न विधि व्यवस्था का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है **Santosh Prasad @ Santosh Kumar vs The State Of Bihar, (2020) 3 SCC 443** (Referred: Rai Sandeep alias Deepu v. State (NCT of Delhi), (2012) 8 SCC 21)

> The 'sterling witness' should be of a very high quality and caliber whose version should, therefore, be unassailable. The Court considering the version of such witness should be in a position to accept it for its face value without any hesitation. To test the quality of such a witness, the status of the witness would be immaterial and what would be relevant is the truthfulness of the statement made by such a witness. What would be more relevant would be the consistency of the statement right from the starting point till the end, namely, at the time when the witness makes the initial statement and ultimately before the Court. It should be natural and consistent with the case of the prosecution qua the accused. There should not be any prevarication in the version of such a witness. The witness should be in a position to withstand the cross–examination of any length and howsoever strenuous it may be and under no circumstance should give room for any doubt as to the factum of the occurrence, the persons involved, as well as, the sequence of it. Such a version should have co–relation with each and everyone of other supporting material such as the recoveries made, the weapons used, the manner of offence committed, the scientific evidence and the expert opinion. The said version should consistently match with the version of every other witness. It can even be stated that it should be akin to

the test applied in the case of circumstantial evidence where there should not be any missing link in the chain of circumstances to hold the accused guilty of the offence alleged against him. Only if the version of such a witness qualifies the above test as well as all other similar such tests to be applied, it can be held that such a witness can be called as a 'sterling witness' whose version can be accepted by the Court without any corroboration and based on which the guilty can be punished. To be more precise, the version of the said witness on the core spectrum of the crime should remain intact while all other attendant materials, namely, oral, documentary and material objects should match the said version in material particulars in order to enable the Court trying the offence to rely on the core version to sieve the other supporting materials for holding the offender guilty of the charge alleged.

29– **पी०डब्लू02 श्रीमती अनीता** की विश्वसनीयता को परखने के लिए उसके द्वारा पुलिस को दिये गये बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं एवं न्यायालय में दिये गये साक्ष्य एक साथ परिशीलन किया जाना आवश्यक है। अनीता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में कथन किया है कि –

दिनांक 01.06.2018 को रात्रि में मेरी पुत्री प्रियंका खेत में शौच करने को गयी थी, मेरी पुत्र प्रियंका मेरे गांव के विमल उर्फ बबलू, सुनील उर्फ पंडित पुत्रगण छोटेलाल उर्फ रतन सिंह, छोटेलाल उर्फ रतन सिंह, मुकेश, संतोष, जयप्रकाश अपहरण कर ले गये थे तथा दिनांक 03.06.2018 की रात्रि में मेरी पुत्री प्रियंका की रास्ते में बजीरपुर जेहलपुर की तरफ छोड़ गये थे, वहीं से मेरी पुत्री मेरी बहन के घर ग्राम बजीर पुर जेहलपुर में चली गयी थी, वहां से लेकर हम थाना व चौकी गये थी। आपने प्रियंका से पूछताछ की थी, उसके बाद हम अपनी पुत्री को घर लेकर आ गये थे। दिनांक 07.06.2018 की रात्रि में करीब 12.00 बजे हम अपने घर में सो रहे थे। हमारे पास ही मेरी पुत्री प्रियंका भी सो रही तथा मेरी सास श्रीमती शांति देवी भी पास में सो रहे थे। गेट बंद थे। आंगन में सोये हुए थे तो एक व्यक्ति दीवाल से चढ़कर आया था तथा दो मोटर साइकिलों को लिये बाहर खडंजा पर खड़े थे तथा मेरी पुत्री को जबरदस्ती हथियारों के बल पर ले गये थे। हमने बिजली की रोशनी में देखा था तथा शोर मचाया था तो कोई भी व्यक्ति मदद के लिए नहीं आया था। मेरी पुत्री को बबलू, सुनील , छोटेलाल, मुकेश, संतोष, जयप्रकाश ले गये थे और गायब

कर दिया है। यह मेरा बयान है।

प्रश्नः– आप की पुत्री प्रियंका को पहले दिनांक 01.06.2018 को ले गये थे तथा दिनांक 03.06.2018 को पुनः अपहरण कर ले गये थे आपके पति या आपने न तो 100 नंबर कंट्रोल पुलिस को सूचना दी न आपने पुलिस थाना या चौकी पर आकर सूचना दी जबकि पहले दो रात गायब होना तथा बाद में अब तक गायब है। ऐसा क्यो?

उत्तरः– चुप रही। फिर कहने लगी कि साहब मैं कुछ नहीं जानती हूं मेरे पति व मेरे देवर बृजेश ही जानते है। क्यों नहीं बताया था।

प्रश्नः– आपकी बबलू, सुनील व रतन सिंह, संतोष, मुकेश व जयप्रकाश से कोई रंजिश है?

उत्तरः– जी हां। उसने हमारे विरूद्ध मुकदमा वर्ष 2017 में एक वर्ष पहले लिखाया मेरे जेठ ने भी एक वर्ष पहले बबलू उर्फ विमल कुमार व सुनील कुमार उर्फ पंडित के विरूद्ध लिखवाया था।

30– इस साक्षी दौरान प्रतिपरीक्षा यह कहा है कि "मैंने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि मेरे घर में घुसकर आये लोगों ने लड़की को पकड़ा और दबोचा और कहा कि मेरे साथ गाड़ी में बैठ और चल, **परंतु यह बात मेरे 161 दं०प्र०सं० के बयान में नहीं लिखी है, इसकी बजह नहीं बता सकती।** इन लोगों बबलू उर्फ विमल व सुनील उर्फ पंडित केसाथ के लोग मुकेश, छोटेपाल व जयप्रकाश गली में बाहर खड़े रहे। मेरी लड़की को सुनील उर्फ पंडित ने गाड़ी पर बैठा किया था और बबलू उर्फ विमल चला रहा था ये सब लोग चार मोटर साइकिल पर थे, **मैंने दरोगा जी को बता दिया था कि चार मोटर साइकिलों पर थे। मगर दरोगा जी ने मेरे बयान में मुल्जिमानों के पास दो मोटर साइकिलों को होना दिखाया है जो गलत लिखा है। ऐसा क्यों लिख दिया। इसकी बजह नहीं बता सकती।** जिस समय 07.06.2018 को मेरी पुत्री को ले जाया गया था उस समय पुत्री के पास में सो रही थी मेरी सास शांती देवी सो रही थी, **ये बात सही है कि मेरे 161 दं०प्र०सं० के बयान अनुसार परिवार के किसी सदस्य का सोना या मौजूद होने का उल्लेख मेरे 161 दं०प्र०सं० के बयान में होना अंकित नहीं है। घटना को मैंने बिजली की रोशनी में देखना हमने पुलिस को नहीं बताया था, पुलिस ने मेरे बयान में घटना के समय बिजली की रोशनी होना कैसे लिख दिया, इसकी बजह मैं नहीं बता सकती।**

31– स्पष्ट है कि पी०डब्लू–2 के बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० एवं न्यायालय में दिये गये साक्ष्य में पर्याप्त भिन्नता है, जिसके आधार पर इस साक्षी को उच्च कोटि की विश्वसनीय साक्षी नहीं माना जा सकता। यद्यपि कि घटना दिनांक 07.06.2018 को अभियुक्तगण के घर में कूदने, अपहृता को ले जाने के घटनाक्रम को छोड़कर शेष अन्य कथनों में इस साक्षी को विश्वसनीय पाया जाता है। इस प्रकार यह साक्षी न तो पूर्ण विश्वसनीय और न ही पूर्ण अविश्वसनीय साक्षी की कोटि की साक्षी है।

32– विधि सुस्थिर है कि जब तक पीड़िता का बयान उत्कृष्ट श्रेणी का न हो तब तक

उसके बयान पर आँख मूंदकर विश्वास नहीं किया जा सकता और न्यायालय को ऐसी स्थिति में अन्य सम्पोषक साक्ष्यों को भी देखना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिव्यवस्था **Nirmal Premkumar and Another Vs. State Rep. By Inspector of Police 2024 SCC OnLine Sc 260** में यह अवधारित किया है कि:–

What flows from the aforesaid decision is that; in cases where witnesses are neither wholly reliable nor wholly unreliable, the Court should strive to find out the true genesis of the incident. The court can rely on the victim as a "sterling witness" without further corroboration, but the quality and credibility must be exceptionally high. **<u>The statement of the prosecutrix ought to be consistent from the beginning to the end (minor inconsistences exceptexd), from the initial statement to the oral testimony, without creating any doubt qua the prosecution's case.</u>** Whilea victim's testimony is usually enough for sexual offence cases, an unreliable or insufficient account from the prosecutrix, marked by identified flaws and gaps, could make it difficult for a conviction to be recorded.

33– उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में पी.डब्लू–2 के साक्ष्य पर विश्वास करने के लिए अन्य संपोषक साक्ष्यों की आवश्यकता है। परंतु अभियोजन द्वारा किसी भी संपोषक साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

34– मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक को साबित करने में अभियोजन पक्ष के विफल रहने के पश्चात् अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप साबित हो सकता है।

35– परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामले के संबंध में कानून को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **शरद बिरधीचंद सरदा** मामले में दिए गए फैसले में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने कहा है कि–

152–यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जिन मामलों में साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति के होते हैं, उनमें सबसे पहले उन परिस्थितियों को पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए जिनसे दोष सिद्ध किया जाना है, और इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य केवल आरोपी के दोष सिद्ध होने की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। इसके अलावा, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए, और वे ऐसी होनी चाहिए कि सिद्ध किए जाने वाले साक्ष्य के अलावा अन्य सभी परिकल्पनाओं को खारिज कर दें। दूसरे शब्दों में, साक्ष्यों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि आरोपी की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे, और यह ऐसी होनी चाहिए जिससे यह सिद्ध हो कि मानवीय संभावना के अनुसार वह कृत्य आरोपी

द्वारा ही किया गया होगा।

153. इस निर्णय का गहन विश्लेषण यह दर्शाता है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध मामला पूर्णतः स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है:

(1) जिन परिस्थितियों से दोष सिद्ध करने का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

यहां यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ "स्थापित होनी चाहिए या अवश्य" सिद्ध होनी चाहिए, न कि "हो सकती हैं"। "सिद्ध हो सकता है" और "सिद्ध होना चाहिए या अवश्य सिद्ध होना चाहिए" के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि कानूनी अंतर भी है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी सहबराव बोबाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1973) 2 एससीसी 793 : 1973 एससीसी (क्रिमिनल) 1033 : 1973 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1783] में कहा था, जहां निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं: [एससीसी पैरा 19, पृष्ठ 807: एससीसी (क्रिमिनल) पृष्ठ 1047]

"निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले आरोपी को दोषी होना चाहिए, न कि केवल दोषी हो सकता है, और 'हो सकता है' और 'होना ही चाहिए' के बीच मानसिक दूरी लंबी है और यह अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।"

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल आरोपी के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें इस परिकल्पना के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि आरोपी दोषी है।

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना के अलावा हर संभव परिकल्पना को खारिज कर देना चाहिए, और

(5) साक्ष्यों की एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला होनी चाहिए जिससे आरोपी की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दर्शाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य आरोपी द्वारा ही किया गया होगा।

154– ये पाँच सुनहरे सिद्धांत, यदि हम ऐसा कहें तो, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित किसी मामले के प्रमाण का पंचशील बनाते हैं।

इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में, हमें वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच करनी होगी। अब तक की संपूर्ण विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अभियोजन संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा है कि किसी साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा अपहृता का अपहरण करते हुए देखा हो। पत्रावली पर अन्य कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है,जिससे अपहरण संबंधित साक्ष्यों की श्रृंखला पूरी हो

सके।

36– बचाव पक्ष के इस तर्क कि जब अपहृता बरामद ही नहीं हुई, तो अभियुक्तगण पर अपराध अंतर्गत धारा 366,368 भा०दं०सं कैसे साबित हो सकता है। इस तर्क के विरूद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा **माननीय उच्च न्यायालय, गुवाहाटी के विधि व्यवस्था देबोजीत पंकिका चराइदेव सोनारी बनाम असम राज्य आपराधिक अपील सं. 3909/2025 प्रस्तुत की है,** जिसका पैरा 15 उल्लेखनीय है जिसमें अभिमत व्यक्त किया गया है–

हत्या में ' अपराध का प्रमाण ' दो घटकों से मिलकर बनता है – परिणाम स्वरूप मृत्यु और साधन के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की आपराधिक भूमिका। जहाँ एक घटक का प्रत्यक्ष प्रमाण हो, वहाँ दूसरे को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से सिद्ध किया जा सकता है। ' अपराध का प्रमाण ' का अर्थ है कि अपराध किया गया है, न कि मृतक का शव बरामद किया गया है। किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की हत्या का दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही उसका शव बरामद न हुआ हो। इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करना उचित होगा। चूंकि कुछ तथ्य समान हैं, इसलिए हमें पृथ्वी बनाम हरियाणा राज्य 7 , पृथ्वीपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य 8 और सेवक पेरुमल बनाम तमिलनाडु राज्य 9 के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करना चाहिए। सेवक पेरुमल (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार है:—

"5... ... मृतक की मृत्यु का तथ्य अन्य तथ्यों की तरह ही सिद्ध किया जाना चाहिए। कुछ मामलों में, शव का पता लगाना या उसे बरामद करना संभव नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि हत्या की गई और शव को बहती नदी या नाले में फेंक दिया गया या जला दिया गया। शव का बरामद होना असंभव है। इसलिए, यदि किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए शव की बरामदगी ही परम आवश्यकता है, तो कई मामलों में आरोपी शव को नष्ट करवा देगा, जिससे दोषी को सजा से पूर्ण मुक्ति मिल जाएगी और वह हत्या का अपराध सिद्ध होने पर भी बच जाएगा। इसलिए, हत्या के अपराध में दोषसिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि हत्या के अपराध के, अन्य मृत्यु तथ्यों की तरह ही, किए जाने के विश्वसनीय और स्वीकार्य साक्ष्य हों और इसे प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए, भले ही शव का पता न लगाया जा सके।" उपर्युक्त विधि व्यवस्था का ससम्मान अवलोकन किया। उक्त प्रकरण एवं हस्तगत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियां भिन्न है। हस्तगत मामले में अभियोजन यह भी साबित करने में विफल रहा है कि पीड़िता को अभियुक्तगण द्वारा ले जाया गया फिर धारा 366,368 भा०दं०सं० साबित होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

37– इस प्रकार उपर्युक्त समस्त विश्लेषण एवं निष्कर्षित निम्न तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रार्थना पत्र 156(3) दं०प्र०सं के माध्यम से दर्ज करायी गयी है, अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र घटना से लगभग 18 महीने पश्चात् दाखिल किया गया

है, प्रस्तुत प्रकरण की अंतिम सी०डी सं. 91 दिनांकित 06.05.2022 तैयार किये जाने तक अपहृता कु० प्रियंका की बरामदगी करने में पुलिस असफल रही तथा नामित अभियुक्त जयप्रकाश के विरूद्ध साक्ष्य अभाव में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गयी, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद अपहृता की हत्या की संभावना के प्रश्न पर अभियोजन द्वारा कोई विवेचना नहीं की गयी, पी०डब्लू–3 उपनिरीक्षक रामकृष्ण सिंह के अनुसार वादी दिनांक 04.06.2018 को पुलिस चौकी सिविल लाइन पर अपनी पुत्री प्रियंका को लेकर आया था, तो उसने किसी का नाम अपहरण कर ले जाने में नहीं बताया था, बल्कि वादी के द्वारा जबरदस्ती बबलू उर्फ विशाल,सुनील पंडित का नाम कहलवाने का प्रयास किया था, न कहने पर वादी द्वारा पुत्री को मारापीटा, घटना के प्रथम विवेचक पी०डब्लू–3 उपनिरीक्षक रामकृष्ण सिंह के अनुसार यह बात सही है कि मुहल्ले के स्वतंत्र गवाहान के बयानात से कथित अपहरण की घटना संदिग्ध प्रतीत होती है, अगले विवेचक पी०डब्लू–6 उपनिरीक्षक गौरीशंकर पटेल ने दौरान प्रतिपरीक्षा यह स्वीकार किया है कि यह बात सही है कि एफ०आई०आर के कथन के अलावा मेरी विवेचना में आये मौखिक साक्ष्य से ऐसा कोई साक्ष्य प्रकाश में नहीं आया है, जिससे यह साबित होता हो कि प्रिंयका का अपहरण हुआ हो, यह भी साबित नहीं होता कि अभियुक्तगण द्वारा भी कोई अपहरण किया गया हो, अंतिम विवेचक पी०डब्लू–5 निरीक्षक सर्वेश कुमार ने भी अपनी दौरान प्रतिपरीक्षा यह स्वीकार किया है कि गांववालों से पूछताछ एवं जानकारी करने पर गांववालों ने बताया कि वादी के भाई बृजेश कुमार ने वादी की पुत्री को कहीं गायब कर रखा है, बृजेश दिल्ली में रहता था, अभियोजन द्वारा न तो पीड़िता की मौसी, न ही पीड़िता की दादी अर्थात् वादी की मां को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, जो कि घटना की महत्वपूर्ण साक्षी है, वादी के भाई ने मु०अ०सं० 217/2017 धारा 323 व 326 भा०दं०सं, थाना मटसैना में अभियुक्तगण बबलू , पंडित, बृजेश व सीटू के विरूद्ध लिखवाया था, मुल्जिम पक्ष के लोगों ने वादी के परिवारजन के खिलाफ मुकदमा लिखाया था, पर्चा नंबर 24 दिनांक 17.05.2019 के अनुसार विवेचक द्वारा वादी एवं अभियुक्तगण के मोबाइल नंबरों की सी०डी०आर प्राप्त करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी परंतु आरोप पत्र के साथ उक्त सी०डी०आर को किसी पर्चे के साथ दाखिल नहीं किया गया और न ही उसका उल्लेख किसी पर्चे में है, अभियोजन कथानक के अनुसार पहली बार अपहरण के पश्चात् अभियुक्तगण द्वारा अपहृता को उसके मौसी के घर छोड़ दिया गया, जिस पर बचाव पक्ष का तर्क है कि यदि अभियुक्तगण को वादी की पुत्री का अपहरण करना ही होता तो वे उसे वापस क्यों छोड़ते और फिर एक ही सप्ताह के अंदर दोबारा अपहरण करते, अभियुक्तगण के पास से घटना में प्रयुक्त कोई भी मोटर साइकिल बरामद नहीं की गयी है , पी०डब्लू–1 व 02 के साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य किसी संपोषक साक्ष्य से घटना को साबित कराने का प्रयास अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया है, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ी भी घटना को साबित नहीं करती है, इस न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन, अभियुक्तगण रतन

सिंह उर्फ छोटेलाल, संतोष, बबलू उर्फ विमल, सुनील व मुकेश कुमार पर लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः संदेह का लाभ पाते हुए अभियुक्तगण लगाये गये सभी आरोपों से दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

सत्र परीक्षण वाद सं. 1555/2020 राज्य बनाम बबलू उर्फ विमल कुमार आदि, मु०अ०सं०–203/2018, में अभियुक्तगण छोटेलाल उर्फ रतन सिंह व पंडित उर्फ सुनील अंतर्गत धारा– 366, 368, 506 भा०दं०सं० व अभियुक्तगण बबलू उर्फ विमल कुमार, मुकेश जाटव व संतोष अन्तर्गत धारा–366 व 506 भा०दं०सं के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके जमानतनामे एवं बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा धारा–437 ए दं०प्र०सं० के अधीन पूर्व में दाखिल जमानतें और निजी बन्धपत्र उपरोक्त प्रावधान के अनुरूप 6 माह तक प्रवृत रहेगे।

इस निर्णय की एक प्रति धारा 365 दं०प्र०सं० के प्रावधान के तहत जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद को प्रेषित की जाए।

बाद मियाद अपील अवधि प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित माल नियमानुसार विनष्ट किया जाए।

दिनांकः 28.07.2026 (श्याम बाबू)

अपर सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट सं०–7, फिरोजाबाद।

(UP–1804)

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः 28.07.2026 (श्याम बाबू)

अपर सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट सं०–7, फिरोजाबाद।

(UP–1804)